

जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी,

गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

जेनिथ कन्वेंट स्कूल,
सैनिक कुंज, नन्दनगर, गोरखपुर।

पत्रांक /अर्थ-2/ 5047-52 / 2002-2003 दिनांक- 11-9-02

विषय: प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थापी मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थापी मान्यता शासनादेश संख्या-230/15-6-96-18 एस[7] दिनांक 18.1.96 का शासनादेश संख्या- 1873[1]/15-6-98-18एस-7/89 दिनांक 10.9.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सन् 2002-2003 से प्रदान की जाती है।

1. परिपदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
2. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन नाम, पत्र में करा दिया जाये।
3. अवैधानिक कक्षाएँ संचालित न की जाये।
4. बिना पूर्ण अनुमति के कोई भी कक्षा उच्चवर्ग बन्द व समाप्त अथवा स्थानान्तरित न किया जाये।
5. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा-जोखा रखा जाये।
6. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त न की जायेगी।
7. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
8. स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु 5 वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियमानुसार पांच उप वर्ग अनुमन्य होंगे।

भवदीय,

जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

पृष्ठायक संख्या / अर्थ-2/

/ 2002-2003

दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला विकास कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5. उप बेरिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र, गोरखपुर।


Manager
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Mandanagar
GORAKHPUR

जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।
Mrs. SEEMA RAI
Principal
Zenith Convent School
Sainik Kunj, Mandanagar
GORAKHPUR